भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5358

05 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए नियत

बैटरी स्वैपिंग नीति

5358. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बैटरी चालित वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 'सेवा के रूप में बैटरी अथवा ऊर्जा' के लिए सतत और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैटरी स्वैपिंग नीति केवल दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माताओं पर लक्षित है, क्योंकि उनकी बैटरी का आकार अधिक सुविधाजनक है और त्वरित स्वैपिंग के लिए आसान है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(च) सरकार द्वारा त्वरित बैटरी स्वैपिंग नीति और इसके अंतर-संचालन मानकों के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (च): जी हाँ। बजट भाषण 2022-23 के पैरा 73 में, बैटरी स्वैपिंग नीति में उल्लेख किया गया है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी को दूर करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का निर्णय लिया गया है जो सेवा के रूप में बैटरी अथवा ऊर्जा के लिए अंतर-संचालनीयता मानकों और अभिनव व्यावसायिक मॉडलों वाली नीति है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन पारितंत्र की दक्षता में सुधार होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने सामान्य और सुरक्षा दिशानिर्देशों, संचार प्रोटोकॉल, कनेक्टर और केंद्रीय प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए विशेषज्ञों और उद्योग जगत के सदस्यों को शामिल कर 4 पैनल बनाए हैं।

***